न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-20/2013

राज्य

बनाम्

मो0 गफूर आलम

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 165/अप0शा0 दिनांक 28.01.2013 के द्वारा लातेहार थाना काण्ड संख्या–131/2012 दिनांक 02.11.2012 में जप्त चावल (अनाज) को राजसात की कार्रवाई हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

यह वाद लातेहार थाना काण्ड संख्या–131/2012 दिनांक–02.11.2012 से संबंधित है। राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि मुख्यमंत्री दाल–भात योजना, करकट (चेकनाका के बगल में) के प्राथमिकी अभियुक्त मो0 गफूर आलम पे0–अब्दुल अंसारी, ग्राम–करकट, थाना+जिला–लातेहार, कोषाध्यक्ष, वेदिक सोसाईटी, लातेहार द्वारा चलाया जा रहा था। मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के अन्तर्गत प्राप्त चावल को कालाबाजारी करने के संबंध में शिकायत के आधार पर अंचलाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 22.10.2012 को जांच पड़ताल के क्रम में मो0 गफूर आलम पे0 अब्दुल अंसारी ग्राम–करकट, थाना+जिला–लातेहार के घर से मुख्यमंत्री दाल–भात योजना का चावल कलश ब्राण्ड के बोरा में भर कर सिलाई कर कालाबाजारी करने हेतु रखा गया कुल–16.50 क्विंटल चावल एवं 05 कलश ब्राण्ड का खाली बोरा ग्रामीणों के समक्ष जप्त किया गया तथा प्रदीप प्रसाद पिता–सुरज साव मुहल्ला थाना चौक (करकट) जनवितरण प्रणाली के विक्रेता को जिम्मानामा पर सुरक्षित रखने हेतु स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष सौंपा गया। मुख्यमंत्री दाल–भात योजना अन्तर्गत दिनांक 19.06.2012 से 22.10.2012 तक कुल

92.00 क्विंटल चावल लातेहार गोदाम से प्राप्त किया गया है तथा खाना खिलाने में कुल–85.09 क्विंटल की खपत दिखाया गया है एवं भंडार पंजी के अनुसार 6.91 क्विंटल चावल शेष दिखाया गया है, जो शेष बचे भण्डार पंजी से 9.59 क्विंटल अधिक चावल बरामद किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्राथमिकी अभियुक्त मो0 गफूर आलम द्वारा मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के लिए प्राप्त चावल की कालाबाजारी पहले से किया जा रहा है।

विपक्षी के द्वारा लिखित बयान न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसमें अपना पक्ष रखा है कि कालाबाजारी करने का जो आरोप लगाया गया है वह बेबुनियाद, तथ्य से परे एवं मनगढंत है। दिनांक 12.08.2011 को अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वेदिक सोसाइटी के कोषाध्यक्ष मो0 गफूर आलम को मुख्यमंत्री दाल–भात योजना का संचालन करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। दिनांक 12.08.2011 को आयोजित बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार वेदिक सोसाइटी के कोषाध्यक्ष मो0 गफ्फुर आलम द्वारा दिनांक 15.08.2011 से दिनांक 04.05.2012 तक मुख्यमंत्री दाल–भात योजना का सफल संचालन किया गया तथा अपरिहार्य कारणवश दिनांक 05.05.2012 से बन्द कर दिया गया एवं इसकी सूचना उपायुक्त, लातेहार एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को लिखित रूप में दे दी गयी है। दिनांक 30.04.2012 को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह मौखिक निर्देश दिया गया कि अब मुख्यमंत्री दाल–भात योजना का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जायेगा इसलिये अब आप किसी महिला स्वयं सहायता समूह का नाम प्रस्तुत करें तथा समूह को आवश्यक दिशा–निर्देश आप स्वयं करेंगे। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 19.06.2012 से थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सोसाईटी महिला स्वयं सहायता समूह, करकट, लातेहार के द्वारा साप्ताहिक बाजार के पास यात्रि शेड में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया जिसकी लिखित सूचना वेदिक सोसाइटी के सचिव द्वारा जिला अपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार एवं उपायुक्त, लातेहार को दे दी गई। मुख्यमंत्री दाल–भात योजना

का संचालन हेतु जो चावल प्रखण्ड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा आवंटित किया जाता था, उसे सुरक्षित रखने के लिए गोदाम (कमरा) उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिसके कारण चावल को प्रारम्भ से ही विपक्षी के मकान ग्राम–करकट में ही थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी महिला समूह, करकट के द्वारा रखा गया था। दिनांक 19.06.2012 से दिनांक 22.10.2012 तक मुख्यमंत्री दाल भात योजना का संचालन हेतु प्रखण्ड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार द्वारा थ्रिप्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी महिला समूह, करकट, लातेहार को कुल 92 क्विंटल चावल आपूर्ति किया गया, जिसमें से कुल–85.9 क्विंटल चावल गरीबों को खिलाने में खर्च की गई जिसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में समूह के सचिव शायदा बीबी द्वारा प्रतिमाह अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार एवं प्रखण्ड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को दी गई है तथा शेष 6.91 क्विंटल चावल भण्डार में सुरक्षित (शील बोरा) रखा हुआ था, जो अलग कमरे में था। विपक्षी के ही मकान के दूसरे कमरे में कलश ब्राण्ड का 9.59 क्विंटल चावल (सील) रखा हुआ था जो करकट के उर्दू विद्यालय (मदरसा) में पढ़ने वाले दीन–हीन एवं यतीम बच्चों के प्रतिदिन के भोजन के लिए रखा हुआ था।, यह चावल करकट अंजुमन कमिटी के कोषाध्यक्ष जाहिद अन्सारी द्वारा मेसर्स राधिका गल्ला भण्डार, रेड़मा चौक, डाल्टनगंज से 12 क्विंटल खरीदी गई थी, जो बच्चों के भोजन कराने के उपरान्त दिनांक 22.10.2012 को शेष 9.59 कि0 बचा हुआ था। दिनांक 22.10.2012 को गांव के गंदी राजनीति करने वाले व्यक्ति के द्वारा शिकायत या सूचना देने के उपरान्त अंचलाधिकारी, लातेहार, थाना प्रभारी, लातेहार एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा छापामारी कर दो अलग–अलग कमरे में अलग–अलग उपयोग के लिये रखा हुआ चावल को एक में दर्शाया गया और जप्त कर लिया गया। दिनांक 22.10.2012 को की गई छापामारी के दिन में घर में विपक्षी मौजूद नहीं थे। विपक्षी के अनुपस्थिति में उनके बीबी एवं बच्चों को डरा धमका कर दोनों चावल उठा कर ले गये। यदि विपक्षी घर पर उपस्थित होते तो जप्त करने वाले पदाधिकारीगण को सही

बातों से अवगत करा देता। दोनों बोरा कलश ब्राण्ड एवं सरकारी आपूर्ति वाला चावल दोनों को मिलाया जाय तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। दोनों बोरों के चावल का नमूना जो विधिवत जप्त किया गया है उसे न्यायालय के समक्ष प्रदर्शीता किया जाय ताकि न्याय हो सके। जप्त कलश ब्राण्ड का 9.59 कि0 चावल करकट के उर्दू विद्यालय में पढ़ने वाले यतीम–दीनहीन बच्चों की खुराक है, उसे न्याय हित में मदरसे के लिए विमुक्त किया जाय। जप्त की गई 6.91 क्विंटल चावल जो अलग कमरे में रखा हुआ था, वह मुख्यमंत्री दाल–भात योजना का था, उसे न्याय हित में न्याय संगत कार्रवाई की जाय। विपक्षी के विरूद्ध कभी किसी न्यायालय में कालाबाजारी या 7 ए0सी0 का मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही कभी इस प्रकार की मुकदमें में सजा हुई है, पुरी ईमानदारी पूर्वक उक्त योजना का सफल क्रियान्वयन करा रहा था। विपक्षी गांव के गंदी राजनीति का शिकार हो गया, विपक्षी ने कोई कालाबाजारी नहीं किया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1185/गो0 दिनांक 13.12.2016 के द्वारा उक्त वाद से संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 41 दिनांक 26.11.2016 से प्रतिवेदन प्राप्त कर जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि ग्राम–करकट के तत्कालीन वार्ड पार्षद नसीरूद्दीन अंसारी के सूचना पर थाना प्रभारी, लातेहार एवं अंचलाधिकारी, लातेहार के द्वारा दिनांक 22.10.2012 को श्री अब्दूल गफूर आलम के घर से 16.50 क्विंटल (सोलह क्विंटल पचास किलो ग्राम) चावल जप्त किया गया। इस जप्त 16.50 क्विंटल चावल को अगले आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए श्री प्रदीप प्रसाद, पिता–सूरज साव, मुहल्ला–थाना चौक, लातेहार के ज0वि0प्र0 विक्रेता को दो स्वतंत्र गवाहों नसीरूद्दीन मियां एवं सखी सरवर चिश्ती की उपस्थिति में अंचलाधिकारी, लातेहार द्वारा जिम्मानामा पर दिनांक 22.10.2016 को दिया गया। इस प्रकार गफूर आलम के घर से 16.50 क्विंटल चावल अर्थात वास्तविक आंवटन से 09.59 क्विंटल (नौ क्विंटल उनसठ किलो ग्राम) चावल अतिरिक्त बरामद किया गया जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि

उनके द्वारा चावल की कालाबाजारी की गई थी। उक्त कार्य में श्री गफूर आलम को दोषी मानते हुए तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 के तहत् दिनांक 02.11.2012 को लातेहार थाना काण्ड संख्या–131/12 दिनांक 02.11.2012 में केस दर्ज किया गया। अतः उपर्युक्त जप्त चावल 16.50 क्विंटल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6(ए) के तहत् अधिग्रहित किया जा सकता है। क्योंकि चावल खराब हो जानेवाली वस्तु है इसे अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। साथ ही इस संबंध में मुकदमा न्यायिक दण्डाधिकारी के पास लंबित है।

रियासत हुसैन जाहिद अंसारी वगैरह अन्य ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन दिनांक 12.11.2012 को उपायुक्त, लातेहार को समर्पित किया गया। जिसमें वर्णित किया गया है कि मदरसे के बच्चों को खाने वाला 10 क्विंटल चावल को प्रशासन के द्वारा उठाकर ले जाया गया है, जो चावल हमारे अंजुमन कमिटि के सदर (अध्यक्ष) मो0 गफूर आलम के घर में रखा हुआ था। मदरसे में जगह की कमी की वजह से मदरसे के बच्चों को खानेवाला चावल हमेशा अंजुमन कमिटि के सदर मो0 गफूर आलम, करकट के घर में रखा जाता है। हमलोग चन्दा करके मदरसा चलाते हैं। उसी चावल को प्रशासन उठाकर ले गया है। चावल कलश ब्रॉण्ड के बोरा में था। अब बच्चों को खाना खिलाना मुश्किल हो गया है, किसी तरह इतने दिनों से घर–घर से मांग कर खाना दिया गया। आवेदन में मदसा के बच्चों को खिलाने वाला चावल को वापस करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज, अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार का जांच प्रतिवेदन एवं विपक्षी द्वारा दिया गया लिखित बयान तथा अभिलेख के दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विपक्षी के घर से कुल–16.50 क्विंटल जप्त चावल में से 9.59 क्विंटल चावल करकट के

उर्दू मदरसा में पढ़नेवाले बच्चों के भोजन के लिए रखा गया था, ये कहना भ्रामक एवं बहकावे में आकर कहा गया प्रतीत होता है। अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि चावल खराब हो जाने वाली वस्तु है, इसे अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है और इस संबंध में मामला न्यायिक दण्डाधिकारी के पास लंबित है। इस मामले में लम्बी अवधि भी बीत चुकी है। अब इस मामले को infructuous मानते हुए वाद को समाप्त किया जाता है।

आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार एवं पुलिस अधीक्षक, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

08/09/24
उपायुक्त,
लातेहार।

08/09/24
उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 16:45:08 +05:30
Location: 192.168.164.143